न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–.....32....../2018–19

मो० स्वर्ण देवी...अपीलार्थी

बनाम

झारखण्ड सरकार अंचल अधिकारी, सोनाहातु..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
27.07.18	अपीलार्थी मो० स्वर्ण देवी, पति–स्व० गणेश बड़ाईक, ग्राम–पेड़ेगचाउली, डाकघर–जामुदाग, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–43 R27/2016-2017/सोनाहातु में दिनांक–30/04/2016 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा मौजा–पेड़ेगचावली, थाना–सोनाहातु, थाना सं०–37, खाता सं०–45, खेसरा सं०–397, रकवा–21 डी० भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि आर०एस० खतियान में समल गोंझू पिता गोंझू गोंझू कौम बड़ाईक साकिन देह के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी के पति गणेश बड़ाईक, पिता स्व० बैजनाथ बड़ाईक ने खतियानी रैयत के वंशज विष्टु बड़ाईक से दिनांक–28/03/2006 को निबंधन खरीदगी पट्टा द्वारा हासिल किया जिसका बुक नं०–01, भोलुम नं०–179, पृष्ठ सं०–81 से 92 तथा पट्टा सं० 4525 है। उपरोक्त वर्णित भूमि खरीदने के पश्चात अपीलार्थी का दखल कब्जा चला आ रहा है। खरीदगी के पश्चात खरीददार अपीलार्थी के पति की मृत्यु को चुकी है, वर्तमान में उनकी विवाहिता पत्नी अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय सोनाहातु में नामांतरण वाद दायर किया गया जिसे जमाबन्दी ख़तियानी रकवा से ज्यादा रकवा का चलने का कारण बतलाकर अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–43 R27/2016-2017/सोनाहातु में दिनांक–30/04/2016 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, सोनाहातु के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि की जमाबंदी खतियानी रकवा से ज्यादा रकवा का चल रहा है। अतः मूल खाता से रकवा घटाने के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई करना संभव होगा। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि आवेदित भूमि के जमाबन्दी में सुधार की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, सोनाहातु को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उक्त जमाबंदी सुधार हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर इस वाद में अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, सोनाहातु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। Sd/- 27/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। Sd/- 27/07/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	